



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 121]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 25, 2014/वैशाख 5, 1936

No. 121]

NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 25, 2014/VAISAKHA 5, 1936

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग)

(विज्ञान और इंजीनियरी अनुसंधान बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 अप्रैल, 2014

संख्या 003/2014/मिसिल सं. एस आर/एस9/जेड-08/2011.—विज्ञान और इंजीनियरी अनुसंधान बोर्ड, विज्ञान और इंजीनियरी अनुसंधान बोर्ड अधिनियम, 2008 (2009 के 9) की धारा 21 के साथ पठित धारा 4 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से निम्नलिखित विनियमों को बनाता है, अर्थात:-

## अध्याय 1

### प्रारम्भिक

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ** – (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम विज्ञान और इंजीनियरी अनुसंधान बोर्ड (समूह "क" राजपत्रित पद की भर्ती और सेवा के निबंधन और शर्तों) (अनुसंधान विज्ञानिक और तकनीक) विनियम, 2014।

(2) ये विनियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त हों।

2. **परिभाषाएं** – इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो -

(क) "अधिनियम" से विज्ञान और इंजीनियरी अनुसंधान बोर्ड अधिनियम, 2008 (2009 का 9) अभिप्रेत है;

(ख) "नियुक्ति प्राधिकारी" से अभिप्रेत है-

(i) केन्द्रीय सरकार के अंतर्गत वैज्ञानिक 'जी' और वैज्ञानिक 'एच' और ग्रुप 'क' के समकक्ष सभी पदों के संबंध में अध्यक्ष;

- (ii) केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत वैज्ञानिक 'सी', वैज्ञानिक 'डी', वैज्ञानिक 'ई' और वैज्ञानिक 'एफ' और ग्रुप 'बी' के समकक्ष सभी पदों के संबंध में सचिव;
- (ग) "अध्यक्ष" से बोर्ड का अध्यक्ष अभिप्रेत है;
- (घ) "सचिव" से बोर्ड का सचिव अभिप्रेत है;
- (ङ) "अनुसूची" से इन विनियमों से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है।
- (च) "छानबीन समिति" से आवेदनों की छानबीन पर विचार करने के लिए अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित दो सदस्यों से बनी समिति अभिप्रेत है;
- (छ) "चयन समिति" से इन विनियमों की अनुसूची 3 के अनुसार नियुक्ति, पुष्टिकरण और प्रोन्नति के लिए चयन पर विचार करने के लिए गठित समिति अभिप्रेत है;
- (ज) "सेवा" से बोर्ड के अंतर्गत अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा अभिप्रेत है ;
- (2) वे शब्द और पद जो इन विनियमों में प्रयुक्त हैं किंतु परिभाषित नहीं हैं, उनके वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में हैं।

3. **विद्यमान अधिकारियों की बाबत उपबंध** - इन विनियमों के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व नियमित आधार पर नियुक्त हुए सभी अधिकारी, न विनियमों के अधीन नियुक्त हुए समझे जाएंगे।

## अध्याय 2

### पदों का नाम, वर्गीकरण, अनुमोदित पद संख्या और वेतनमान

4. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान** - (1) बोर्ड के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन अथवा वेतन मान निम्नानुसार विनिर्दिष्ट है:-

क्रम संख्या	पद का नाम	वर्गीकरण	पदों की संख्या	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन अथवा वेतन मान
1	वैज्ञानिक 'सी'	साधारण केन्द्र सरकार, समूह 'क' राजपत्रित (अननुसूचित, वैज्ञानिक तकनीकी) और	9 (2014)	वेतन बैंड - 3, 15600 - 39100 रु. ग्रेड वेतन 6600 रु.
2	वैज्ञानिक 'डी'		0* (2014)	वेतन बैंड - 3, 15600 - 39100 रु. ग्रेड वेतन 7600 रु.
3	वैज्ञानिक 'ई'		6* (2014)	वेतन बैंड - 4, 37400 - 67000 रु. ग्रेड वेतन 8700 रु.
4	वैज्ञानिक 'एफ'		0*	वेतन बैंड - 4, 37400 - 67000 रु. ग्रेड वेतन 8900 रु.
5	वैज्ञानिक 'जी'		5* (2014)	वेतन बैंड - 4, 37400 - 67000 रु. ग्रेड वेतन 10000 रु.
6	वैज्ञानिक 'एच'		0*	67000 - 79000 रु.
कुल		20*		

\* कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।

बशर्त नमनीय पूरक योजना (एफ सी एस) के अधीन स्व - स्थाने प्रोन्नतियों के कारण इन स्तरों पर पदों के मध्य पूर्ण परिवर्तनशीलता इस शर्त के अधीन होगी कि वैज्ञानिक 'सी' से वैज्ञानिक 'एच' के कुल पदों को एक साथ यह कुल स्वीकृत संख्या से अधिक न हो।

## अध्याय 3

### भर्ती की पद्धति

5. **भर्ती की पद्धति**। - (1) वैज्ञानिक 'सी' से 'एच' के पद चयन पद होंगे।

- (2) प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति और आमेलन के माध्यम से भर्ती के प्रयोजन के लिए संघ लोक सेवा आयोग के कार्य क्षेत्र से बाहर रखा जाएगा।
- (3) अनुसूची 1 में यथा विनिर्दिष्ट वैज्ञानिक 'एच' के पदों के लिए भर्ती सीधी भर्ती द्वारा की जाएगी।
- (4) अनुसूची 2 में यथा विनिर्दिष्ट वैज्ञानिक 'सी' से 'जी' के पदों के लिए या तो प्रोन्नति अथवा सीधी भर्ती अथवा प्रतिनियुक्ति/ आमेलन (अल्प कालिक संविदा सहित) द्वारा की जाएगी।
- (5) सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रत्येक पद अथवा प्रत्येक मामले के लिए समय - समय पर भर्ती हेतु विशिष्ट पद्धति का विनिश्चय किया जाएगा।
- (6) विभिन्न क्षेत्रों में वैज्ञानिकों की उपलब्धता तथा विशिष्ट क्षेत्र में वैज्ञानिक की और आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, प्रत्येक पद अथवा प्रत्येक मामले के लिए आवश्यक शैक्षणिक अर्हताओं और अनुभव की विशिष्ट शाखा या क्षेत्र का विनिश्चय किया जाएगा।
- (7) केन्द्रीय सरकार द्वारा समय - समय पर जारी आदेशों के अनुरूप भूतपूर्व सैनिकों की पुनः रोजगार के आधार पर भर्ती की जाएगी।

6. **प्रोन्नति** - नमनीय पूरक योजना के अंतर्गत कैडर में एक ग्रेड से अगले उच्चतम ग्रेड में वैज्ञानिक 'जी' के ग्रेड तक की वैज्ञानिकों की प्रोन्नति सरकार द्वारा समय - समय पर यथा संशोधित कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 2/41/97 - पी आई, सी तारीख 9 नवम्बर 1998 और सं. ए वी - 14017/37/008 - स्था. तारीख 10 सितम्बर, 2011 तहत सरकार द्वारा, स प्रकार की प्रोन्नतियों के लिए विहित मानदंड के अनुसार अनुसूची 4 में दी गई शैक्षणिक अर्हताओं को रखने वाले वैज्ञानिकों में से की जाएगी।

7. **सीधी भर्ती** - विभिन्न पदों पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का चयन जिन्हें सीधी भर्ती द्वारा भरा जाना है अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा:

- (क) रिक्तियां जिन्हें भरा जाना है उन्हें कम से कम दो अग्रणी दैनिक राष्ट्रीय समाचार पत्रों में विज्ञापित किया जाएगा।
- (ख) विज्ञापन में उल्लिखित अंतिम तारीख तक प्राप्त न होने वाले आवेदनों अथवा शर्तों का समाधान न करने वाले अभ्यर्थियों के आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।
- (ग) नियुक्ति प्राधिकारी शेष अभ्यर्थियों की छंटनी करेगा जिन्हें साक्षात्कार के लिए बुलाया जाना है परंतु नियुक्ति प्राधिकारी साक्षात्कार के लिए सभी अभ्यर्थियों को बुलाने का चयन कर सकता है।
- (घ) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अभ्यर्थियों का अंतिम चयन साक्षात्कार में अभ्यर्थी के निष्पादन और कार्य अनुभव के लिए उसकी अर्हताओं के संयुक्त मूल्यांकन के आधार पर किया जाएगा।
- (ङ) नियुक्ति प्राधिकारी अपने विवेकाधिकार से, उन मामलों में जहां वह विचार करता है कि यह वांछनीय है अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा को चयन प्रक्रिया के एक भाग रूप में भी निर्दिष्ट कर सकता है।
- (च) नियुक्ति प्राधिकारी अपने विवेकाधिकार से उपयुक्त अभ्यर्थियों के नामों का एक पैनल तैयार कर सकता है, जिन्हें संबद्ध पदों की भावी रिक्तियों के लिए नियोजन की प्रस्थापना की जा सकेगी।
- (छ) नामों का को, ऐसा पैनल, यदि तैयार होता है तथा रखा जाता है तो वह, इसके अनुमोदन की तारीख से बारह मास की अवधि के लिए विधिमान्य होगा।

8. **सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा** - पदों के प्रत्येक प्रवर्ग पर सीधी भर्ती के लिए ऊपरी आयु सीमा निम्नानुसार है:

पदों के प्रत्येक प्रवर्ग पर सीधी भर्ती के लिए ऊपरी आयु सीमा निम्नानुसार है:

क्रम सं.	पद का नाम	आयु सीमा
1	वैज्ञानिक 'सी'	35 वर्ष
2	वैज्ञानिक 'डी'	40 वर्ष
3	वैज्ञानिक 'ई'	45 वर्ष
4	वैज्ञानिक 'एफ'	50 वर्ष

5	वैज्ञानिक 'जी'	50 वर्ष
6	वैज्ञानिक 'एच'	55 वर्ष

(केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पाँच वर्ष तक शिथिलनीय)

**नोट 1:** आयु सीमा के निर्धारण के लिए महत्वपूर्ण भारत के उम्मीदवारों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि होगी और वह असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर राज्य का लद्दाख प्रभाग, लाहोल और स्पिती जिले और हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के उप - प्रभाग पांगी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप संघ क्षेत्रों के लिए निर्धारित अंतिम तिथि नहीं होगी।

**9. चिकित्सीय परीक्षा -** कोई भी अभ्यर्थी जोकि, ऐसी चिकित्सीय परीक्षा जो प्राधिकारी द्वारा विहित की जाए के उपरान्त शारीरिक अथवा स्वास्थ्य की दृष्टि से ठीक नहीं पाया जाता और किसी भी शारीरिक त्रुटि से युक्त होगा जिससे उसके सेवा के कर्तव्य में व्यवधान पड़ने की संभावना है, पदों पर नियुक्त नहीं किया जाएगा।

#### अध्याय 4

#### भर्ती और नियुक्त की प्रक्रिया

**10. नियुक्ति प्राधिकारी -** वैज्ञानिक 'सी', 'डी', 'ई', 'एफ' 'जी' और 'एच' की सभी नियुक्तियां नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जाएगी, न विनियमों के खंड 2 के उपखंड (ख) में विनिर्दिष्ट है।

**11. विदेश सेवा पदों निबंधनों पर प्रतिनियुक्ति के लिए पात्रता मापदंड -** विदेश सेवा निबंधनों पर प्रतिनियुक्ति के लिए पात्रता मानदंड वह होगा जो अनुसूची - 2 में यथाविनिर्दिष्ट है।

**12. सीधी भर्ती के लिए पात्रता मापदंड -** सीधी भर्ती के लिए पात्रता मानदंड वह होगा जो अनुसूची - 1 और अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट है।

**13. अल्पकालिक संविदा के लिए पात्रता मानदंड -** अल्पकालिक संविदा के लिए पात्रता मानदंड वह होगा जो अनुसूची - 2 में यथाविनिर्दिष्ट है।

**14. प्रोन्नति के आधार पर नियुक्ति के लिए पात्रता मानदंड -** प्रोन्नति के आधार पर नियुक्ति के लिए पात्रता मानदंड पर होगा जो अनुसूची - 2 में यथाविनिर्दिष्ट है।

**15. रिक्तियों की घोषणा -** (1) बोर्ड, ऐसी रीति में जो वह ठीक समझे, को विदेश सेवा निबंधनों पर प्रतिनियुक्ति अथवा अल्प - कालिक संविदा आधार अथवा सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाने वाले पदों की संख्या, के बारे में घोषणा करेगा तथा नियुक्ति के लिए आवेदनों को बोर्ड में आमंत्रित करेगा।

(2) विदेश सेवा के पदों पर प्रतिनियुक्ति के मामले में, केन्द्रीय सरकार के सभी विभागों, संबंधित कार्यालयों और अधीनस्थ कार्यालयों और सभी गैर - सरकारी संगठनों जैसे विश्वविद्यालयों, मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम आदि से लघु अवधि के संविदा आधार पर पदों का सीमित अवधि के लिए भरने हेतु रिक्ति सूचना प्रचालित की जाएगी।

(3) रिक्तियां जिन्हे सीधी भर्ती द्वारा भरा जाना है उन्हें कम से कम दो अग्रणी राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्रों और बोर्ड तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डी एस टी) की वेबसाइटों पर जारी की जाएगी।

**16. आवेदन के लिए प्रारूपों का निर्धारण -** बोर्ड, जो वह ठीक समझे उस प्रारूप को जिसमें आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा, आवेदन के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज और प्रमाण पत्र प्रस्तुति का ढंग, आवेदनों की प्राप्ति के लिए अंतिम तारीख और आवेदनों की प्रस्तुति के लिए आमहित अधिकारी विहित कर सकेगा।

**17. आवेदन का प्रसंस्करण -** छान-बीन समिति, बोर्ड को प्राप्त आवेदनों पर विचार करेगी और कार्य की आवश्यकताओं तथा अभ्यर्थियों के जीवन - वृत्त के आधार पर आगामी प्रसंस्करण के लिए अभ्यर्थियों की छंटनी कर सकती है।

**18. चयन समिति का गठन -** (1) नियुक्ति, पुष्टिकरण और प्रोन्नति के लिए सिफारिश करने हेतु एक चयन समिति होगी। (2) चयन समिति, न विनियमों की अनुसूची 3 में यथाविनिर्दिष्ट अध्यक्ष और सदस्यों से मिलकर बनेगी (3) बोर्ड से नाम निर्दिष्ट सदस्य पद में कम से कम एक स्तर ऊपर होंगे जिसके लिए अभ्यर्थियों पर चयन के लिए विचार किया जाना है।

19. **अभ्यर्थियों की चयन सूची** - चयन समिति की सिफारिश पर, नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों की चयन सूची तैयार करेंगे जोकि योग्यता के क्रम में होगी जो एक वर्ष की अवधि के लिए या ऐसी बढ़ाई, गई, अवधि जो नियुक्ति प्राधिकारी विनिर्दिष्ट कर सके, के लिए विधिमान्य होगी।

## अध्याय 5

### वेतन, भत्ते और सेवा की शर्तें

20. विदेश सेवा निबंधनों या आमेलन पर प्रतिनियुक्त व्यक्ति की बाबत वेतन नियतन (1) प्रत्येक पद के लिए लागू वेतनमान और केन्द्रीय सरकार सेवा के तत्स्थायी स्तर, न विनियमों के विनियम 3 में दिए गए हैं।

(2) विदेश सेवा निबंधनों पर प्रतिनियुक्त अथवा आमेलन के मामले का नियतन मानक निबंधनों और शर्तों के अनुरूप किया जाएगा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर विहित किया जाए।

(3) मंहगाई, भत्ता, मकान किराया भत्ता, परिवहन भत्ता, शहरी अनुपूरक भत्ता, बाल शिक्षा भत्ता, यात्रा रियायत छुट्टी, यात्रा भत्ता/ मंहगाई, भत्ता, आवासीय दूरभाष और समाचार पत्रों के बिलों का भुगतान समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुज्ञेय होगा।

(4) तत्स्थानी स्तर के केन्द्रीय सरकार के सेवकों को यथा लागू नयी पेंशन स्कीम के उपबन्ध स्थायी रूप से आमेलित बोर्ड कर्मचारियों पर लागू होंगे।

21. **चिकित्सा सुविधा** - बोर्ड के अधिकारी अनुसूची (5) में यथा विनिर्दिष्ट चिकित्सा सुविधा के पात्र होंगे।

केन्द्रीय सरकार में उपलब्ध को, अन्य भत्ते भी केन्द्रीय सरकार के नियमों के अनुसार अनुज्ञेय होंगे।

22. **वेतन निर्धारण (सीधी भर्ती)** - सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्त व्यक्तियों के लिए वेतन और अन्य भत्तों का अवधारण केन्द्रीय सरकार के नियमों के अनुसार किया जाएगा। सीधी भर्ती के आधार पर नियुक्त अधिकारी पर तत्स्थायी स्तर के केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को यथा लागू नयी पेंशन योजना के प्रावधान लागू होंगे। निविदा अथवा निश्चित समय - सीमा के आधार पर लगाए गए व्यक्ति पर बोर्ड द्वारा विनियत शर्तें और नियम लागू होंगी।

23. **वेतन नियतन (प्रोन्नति)** - पदोन्नति के माध्यम से नियुक्त व्यक्तियों के लिए वेतन और अन्य शर्तों का अवधारण केन्द्रीय सरकार के नियमों के अनुसार किया जाएगा। प्रोन्नति पर नियुक्त कर्मचारिवृन्द पर तत्स्थानी स्तर के केन्द्रीय सरकार के सेवकों को मान्य नई, पेंशन योजना के उपबन्ध लागू होंगे।

24. शासकीय विदेश दौरा बोर्ड के अधिकारियों द्वारा शासकीय विदेश दौरे सचिव के अनुमोदन से किए जाएंगे और केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों या अनुदेशों के अनुसार विनियमित किए जाएंगे।

## अध्याय 6

### प्रकीर्ण

25. **परिवीक्षा** - (1) प्रत्यक्ष भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से नियुक्त अभ्यर्थियों के लिए परिवीक्षा की अवधि अनुबद्ध की जा सकती है। (2) यदि, इस प्रकार की परिवीक्षा की अवधि अनुबद्ध है तो नए भर्ती किए गए व्यक्तियों को उसके द्वारा परिवीक्षा की अवधि के पूरा करने और, इस अवधि के दौरान उसके आचरण को प्राधिकारी द्वारा संतोषप्रद पाए जाने के बाद ही पुष्टिकृत किया जाएगा। (3) उस दशा में कि किसी कर्मचारी के आचरण के संतोषजनक न पाए जाने पर, परिवीक्षा अवधि में प्राधिकारी स्वविवेक से सुधार का अवसर देने के लिए अवधि बढ़ा सकेगा। (4) यदि परिवीक्षा की अवधि/बढ़ी हुई, अवधि के समापन पर किसी कर्मचारी की सेवा और आचरण संतोषजनक नहीं पाए जाते हैं तो उसकी सेवाओं को समाप्त किया जा सकता है।

26. **राष्ट्रीयता** - अभ्यर्थी को भारत का नागरिक होना चाहिए अथवा उसे व्यक्तियों के ऐसे वर्गों से संबंधित होना चाहिए जो सरकार द्वारा समय - समय पर अधिसूचित किया जाए।

27. **अधिवर्षिता** - अधिवर्षिता की आयु 60 वर्ष की आयु प्राप्ति होगी।

28. **निरर्हता** - वह व्यक्ति

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या पत्नी जीवित है, विवाह किया है; अथवा

(ख) जिसने अपने पति/ या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए व्यक्ति से विवाह किया हो, उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्कीमों विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को, इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

29. चिकित्सीय मानकों के प्रयोजनार्थ पदों का वर्गीकरण - , इन विनियमों के तहत सभी पद भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय वन सेवा और केन्द्रीय सेवाओं के लिए चिकित्सा विनियमों और चिकित्सा रिपोर्टों में यथा विनिर्दिष्ट चिकित्सीय मानकों के प्रयोजनों के लिए गैर - तकनीकी पद समझे जाएंगे।

30. छूट देने की शक्ति - जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समाधीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन विनियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

31. निर्वचन - यदि, इस विनियम के कार्यान्वयन के संबंध में कोई प्रश्न उत्पन्न होता है तो इसका विनिश्चय बोर्ड द्वारा किया जाएगा।

32. कठिनाईयों का निवारण - बोर्ड समय-समय पर ऐसे साधारण या विनिर्दिष्ट निदेश जारी कर सकेगा जो इस नियम के किसी उपबंध के प्रचालन में कठिनाई, दूर करने के लिए आवश्यक समझे जाएं।

33. वे विषय जिनके लिए कोई उपबंध नहीं किया गया है - बोर्ड के अधिकारियों के सेवा की शर्तों से संबंधित मामलों, जिनकी बाबत, इन विनियमों में कोई उपबंध नहीं किया गया है, को केन्द्रीय सरकार को इसके विनिश्चय के लिए भेजा जाएगा।

34. इन विनियमों की कोई, बात ऐसे आरक्षणों, आयु - सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय - समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

35. सेवानिवृत्ति फायदे - 1 जनवरी, 2004 को या उसके पश्चात नियुक्त सभी अधिकारी, केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों को लागू नयी पेंशन स्कीम, जिसे समय - समय पर संशोधित किया गया है द्वारा शासित होंगे।

### अनुसूची ।

#### [देखें विनियम 4 का उप - विनियम (4)]

#### वैज्ञानिक 'एच' के पद के लिए भर्ती

1. सीधी भर्ती वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं (वैज्ञानिक 'एच')

(क) आवश्यक:

(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्राकृतिक अथवा कृषि विज्ञान में डॉक्टरेट डिग्री अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इंजीनियरी अथवा प्रौद्योगिकी अथवा औषधि में मास्टर डिग्री अथवा समकक्ष।

(ii) औद्योगिक और अकादमिक संस्थानों अथवा विज्ञान और प्रौद्योगिकी संगठनों अथवा वैज्ञानिक क्रियाकलापों और सेवाओं में अनुसंधान और विकास में बीस वर्षों का अनुभव जिनमें से प्रशासन, नियोजन, विकास और विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्यक्रमों की सहकारिता में सात वर्षों का अनुभव होना चाहिए।

(iii) विज्ञान और प्रौद्योगिकी की किसी भी शाखा में प्रमुख कार्यक्रमों के विकास प्रबंधन और निदेशन का अनुभव; और

(iv) उच्च मानक का प्रकाशित शोध कार्य

टिप्पण: आवश्यक अर्हताओं के अर्जन में बिताया गया समय अनुभव में नहीं गिना जाएगा। तथापि, उन मामलों, जहां डॉक्टरेट डिग्री एक आवश्यक अर्हता नहीं है, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से डॉक्टरेट डिग्री

प्राप्त करने में बिताया गया समय, अधिकतम चार वर्ष और विश्वविद्यालय अथवा अनुसंधान संस्थान में पश्च डॉक्टोरेट अनुसंधान तथा प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में शोध कार्य के प्रकाशन हेतु बिताई, गई अवधि के साक्ष्य के रूप में उस विश्वविद्यालय अथवा संस्थान द्वारा प्रमाणीकरण के आधार पर अधिकतम तीन वर्ष के अनुभव के रूप में गिना जाएगा।

(ख) वांछनीय

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा अनुसंधान संस्थान से प्राकृतिक या कृषि विज्ञान में पश्च डॉक्टोरल अनुसंधान अथवा इंजीनियरी अथवा प्रौद्योगिकी या औषधि में डॉक्टरेट डिग्री जिसका साक्ष्य साथ उस विश्वविद्यालय अथवा संस्थान का प्रमाणीकरण और प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में शोध कार्य के प्रकाशन के रूप में हो।

## अनुसूची 2

[देखें विनियम 4 का उप - विनियम (4)]

वैज्ञानिक 'सी' से 'जी' के पदों के लिए भर्ती

1.(क) सीधी भर्ती वाले व्यक्तियों (वैज्ञानिक 'सी') के लिए वांछित शैक्षिक योग्यता तथा अन्य अर्हताएं

(क) आवश्यक :

- (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्राकृतिक अथवा कृषि विज्ञान में मास्टर डिग्री अथवा इंजीनियरी अथवा प्रौद्योगिकी अथवा औषधि में स्नातक डिग्री या समतुल्य;
- (ii) औद्योगिक और अकादमिक संस्थानों अथवा विज्ञान और प्रौद्योगिकी संगठनों में अनुसंधान और विकास में चार वर्षों का अनुभव।

(ख) वांछनीय:

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्राकृतिक अथवा कृषि विज्ञान में डॉक्टरेट डिग्री अथवा इंजीनियरी अथवा प्रौद्योगिकी अथवा औषधि में मास्टर डिग्री अथवा समकक्ष।

**टिप्पण:** आवश्यक अर्हताओं के अर्जन में बिताया गया समय अनुभव में नहीं गिना जाएगा। तथापि उन मामलों, जहां डॉक्टोरल डिग्री एक आवश्यक अर्हता नहीं है, में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से डॉक्टोरल डिग्री प्राप्त करने में बिताया गया समय, अधिकतम चार वर्ष के अध्ययन और विश्वविद्यालय अथवा अनुसंधान संस्थान तथा प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में शोध कार्य के प्रकाशन हेतु बिताई, गई, अवधि के साक्ष्य के रूप में उस विश्वविद्यालय अथवा संस्थान द्वारा प्रमाणीकरण के आधार पर अधिकतम तीन 'वर्ष' के अध्यधीन, अनुभव के रूप में गिना जाएगा।

(ख) श्रेणियां जिनसे प्रतिनियुक्ति (लघु अवधि की संविदा सहित) की जाएंगी (वैज्ञानिक 'सी')

भारत में केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या कानूनी स्वायत्त शासी संगठनों में कार्यरत वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीविदः

(क)(i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण कर रहे हैं अथवा

- (ii) जो नियुक्ति के उपरांत प्राप्त ग्रेड में नियमित आधार पर वेतन बैंड - 3, 15600 - 39100 रु. में 5400 रु. के ग्रेड वेतन अथवा समकक्ष में दो वर्षों की सेवा कर चुके हो; और

(ख) उपरोक्त क्रम संख्या 2 (क)(क) के अधीन सीधी भर्ती वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखता हो।

**टिप्पण 1:** प्रतिनियुक्ति की अवधि, इस नियुक्ति के पहले केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन अथवा विभाग में धारित कोई अन्य एक्स - कैडर पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित, सामान्यतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी, जिसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से वर्ष दर वर्ष आधार पर अधिकतम 5 वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है।

**टिप्पणी 2:** पोषक प्रवर्ग में ऐसे विभागीय अभ्यर्थी, जोकि नमनीय पूरक योजना (एफ सी एस) के तहत स्वस्थाने पदोन्नति के लिए सीधे पंक्ति में हैं पर, केवल बाह्य कैडर पदों जिनके लिए वे पोषक श्रेणी अधिकारी नहीं है के सिवाए, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार नहीं किया जाएगा।, इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति प्राप्त अधिकारी एफ सी एस के तहत स्वस्थाने पदोन्नति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

**टिप्पण 3:** प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु आवेदन की प्राप्ति की अंतिम तिथि को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

2 (क) सीधी भर्ती वाले व्यक्तियों के लिए वांछित शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं (वैज्ञानिक 'डी')

(क) आवश्यक :-

(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्राकृतिक अथवा कृषि विज्ञान में मास्टर डिग्री अथवा इंजीनियरी अथवा प्रौद्योगिकी अथवा औषधि में बेचलर डिग्री या समतुल्य।

(ii) औद्योगिक और अकादमिक संस्थानों अथवा विज्ञान और प्रौद्योगिकी संगठनों अथवा वैज्ञानिक कार्यकलापों और सेवाओं में विकास और अनुसंधान का आठ वर्ष का अनुभव, जिनमें से प्रशासन, नियोजन, विकास और विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्यक्रमों की सहकारिता में चार वर्षों का अनुभव होना चाहिए।

(ख) वांछनीय:

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से प्राकृतिक और कृषि विज्ञान में डॉक्टरेट की डिग्री अथवा इंजीनियरी अथवा प्रौद्योगिकी अथवा औषधि में स्नातक डिग्री।

**टिप्पण :-** आवश्यक अर्हताओं के अर्जन में बिताया गया समय अनुभव में नहीं गिना जाएगा। तथापि, उन मामलों, जहां डॉक्टरेट डिग्री एक आवश्यक अर्हता नहीं है, में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से पश्च डॉक्टरेट डिग्री प्राप्त करने में बिताया गया समय, अधिकतम चार वर्ष के अध्यधीन और विश्वविद्यालय अथवा अनुसंधान संस्थान तथा प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में शोध कार्य के प्रकाशन हेतु बिताई, गई, अवधि के साक्ष्य के रूप में उस विश्वविद्यालय अथवा संस्थान द्वारा प्रमाणीकरण के आधार पर अधिकतम तीन वर्ष के अध्यधीन, अनुभव के रूप में गिना जाएगा।

(खं) श्रेणियां जिनसे प्रतिनियुक्ति ( अल्पकालिक संविदा सहित) की जाएंगी (वैज्ञानिक 'डी')

भारत में केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या कानूनी या स्वायत्तशासी संगठनों में कार्यरत वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीविद:-

(क)(i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण कर रहे हैं; अथवा

(ii) नियुक्ति के उपरांत प्राप्त ग्रेड में नियमित आधार पर वेतन बैंड - 3, 15600 - 39100 रु. में 6600 रु. के ग्रेड वेतन सहित अथवा समकक्ष में तीन वर्षों का अनुभव; और

(ख) उपरोक्त क्रम संख्या 2 (क)(क) के अधीन सीधी भर्ती वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हता और अनुभव रखता हो।

**टिप्पण 1 :** प्रतिनियुक्ति की अवधि, इस नियुक्ति के पहले केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन अथवा विभाग में धारित कर्ों, अन्य बाध्य - कैडर पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित, सामान्यतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी, जिसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से वर्ष दर वर्ष आधार पर अधिकतम 5 वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है।

**टिप्पण 2:** पोषक प्रवर्ग में विभागीय अभ्यर्थी, जोकि नमनीय पूरक योजना (एफ सी एस) के तहत स्वस्थाने पदोन्नति के लिए सीधे पंक्ति में हैं पर, केवल बाह्य कैडर पदों जिनके लिए वे पोषक श्रेणी ग्रेड अधिकारी नहीं है के अलावा, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार नहीं किया जाएगा।, इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति प्राप्त अधिकारी एफ सी एस के अधीन स्वस्थाने पदोन्नति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

**टिप्पण 3:** प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु आवेदन की प्राप्ति की अंतिम तिथि को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।



3 (क) सीधी भर्ती वाले व्यक्तियों के लिए वांछित शैक्षिक योग्यता तथा अन्य अर्हताएं (वैज्ञानिक 'ई')

(क) आवश्यक:

- (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्राकृतिक अथवा कृषि विज्ञान में डॉक्टरेट डिग्री अथवा इंजीनियरी अथवा प्रौद्योगिकी अथवा औषधि में मास्टर डिग्री।
  - (ii) औद्योगिक और अकादमिक संस्थानों अथवा विज्ञान और प्रौद्योगिकी संगठनों अथवा वैज्ञानिक कार्यकलापों और सेवाओं में दस वर्ष का अनुभव, जिनमें से प्रशासन, नियोजन, विकास और विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्यक्रमों की सहकारिता में पांच वर्षों का अनुभव होना चाहिए।
- (ख) वांछनीय:

मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा अनुसंधान संस्थान से प्राकृतिक और कृषि विज्ञान में पश्च डॉक्टरल अनुसंधान अथवा इंजीनियरी अथवा प्रौद्योगिकी या औषधि में डॉक्टरेट डिग्री जिसका साक्ष्य उस विश्वविद्यालय अथवा संस्थान का प्रमाणीकरण और प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में शोध कार्य के प्रकाशन के रूप में हो।

**टिप्पण:-**आवश्यक अर्हताओं के अर्जन में बिताया गया समय अनुभव में नहीं गिना जाएगा। तथापि, उन मामलों, जहां डॉक्टरेट डिग्री एक आवश्यक अर्हता नहीं है, में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से पोस्ट डॉक्टरेट डिग्री प्राप्त करने में बिताया गया समय, अधिकतम चार वर्ष के अध्यधीन और विश्वविद्यालय अथवा अनुसंधान संस्थान तथा प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में शोध कार्य के प्रकाशन हेतु बिता गई अवधि के साक्ष्य के रूप में उस विश्वविद्यालय अथवा संस्थान द्वारा प्रमाणीकरण के आधार पर अधिकतम तीन वर्ष के अध्यधीन, अनुभव के रूप में गिना जाएगा।

(ख) श्रेणियां जिनसे प्रतिनियुक्ति (लघु अवधि की संविदा सहित) की जाएंगी (वैज्ञानिक 'ई')

भारत में केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या कानूनी या स्वायत्तशासी संगठनों में कार्यरत वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीविदः-

(क)(i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण कर रहे; अथवा

(ii) नियुक्ति के उपरांत प्राप्त ग्रेड में नियमित आधार पर वेतन बैंड - 3, 15600 - 39100 रु. में 7600 रु. के ग्रेड वेतन सहित अथवा समकक्ष में चार वर्ष सेवा कर चुके हों; और

(iii) नियुक्ति के उपरांत प्राप्त ग्रेड में नियमित आधार पर वेतन बैंड - 3, 15600 - 39100 रु. में 6600 रु. के ग्रेड वेतन अथवा समकक्ष में दस वर्षों की सेवा कर चुके हों; और

(ख) उपरोक्त क्रम संख्या 3 के (क)(क) के अधीन सीधी भर्तियों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता और अनुभव रखता हो।

**टिप्पण 1:** प्रतिनियुक्ति की अवधि इस नियुक्ति के पहले केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन अथवा विभाग में धारित कोई, अन्य बाध्य - कैडर पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित, सामान्यतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी, जिसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से वर्ष दर वर्ष आधार पर अधिकतम 5 वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है।

**टिप्पण 2:** पोषक प्रवर्ग में विभागीय अभ्यर्थी, जोकि नमनीय पूरक योजना (एफ सी एस) के तहत स्वस्थाने प्रोन्नति के लिए सीधे पंक्ति में हैं पर, केवल बाह्य कैडर पदों जिनके लिए वे पोषक ग्रेड अधिकारी नहीं हैं के अलावा, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार नहीं किया जाएगा। इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति प्राप्त व्यक्ति एफ सी एस के अधीन स्वस्थाने प्रोन्नति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

**टिप्पणी 3:** प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु आवेदन की प्राप्ति की अंतिम तिथि को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

4 (ए) सीधी भर्ती वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं (वैज्ञानिक 'एफ')

(क) आवश्यक :

1767 GI/14-3

(i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्राकृतिक तथा कृषि विज्ञान में डॉक्टरेट की डिग्री अथवा इंजीनियरी अथवा प्रौद्योगिकी अथवा औषधि में मास्टर डिग्री।

(ii) औद्योगिक और अकादमिक संस्थानों अथवा विज्ञान और प्रौद्योगिकी संगठनों अथवा वैज्ञानिक कार्यकलापों और सेवाओं में बारह वर्ष का अनुभव, जिनमें से प्रशासन, नियोजन, विकास और विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्यक्रमों की सहकारिता में छह वर्षों का अनुभव होना चाहिए।

(ख) वांछनीय:

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा अनुसंधान संस्थान से प्राकृतिक और कृषि विज्ञान में पश्च डॉक्टरल अनुसंधान अथवा इंजीनियरी अथवा प्रौद्योगिकी या औषधि में डॉक्टरेट डिग्री जिसका साक्ष्य उस विश्वविद्यालय अथवा संस्थान का प्रमाणीकरण और प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में शोध कार्य के प्रकाशन के रूप में हो।

**टिप्पण:-** आवश्यक अर्हताओं के अर्जन में बिताया गया समय अनुभव में नहीं गिना जाएगा। तथापि, उन मामलों, जहां डॉक्टरेट डिग्री एक अनिवार्य योग्यता नहीं है, में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से पोस्ट डॉक्टरेट डिग्री प्राप्त करने में बिताया गया समय, अधिकतम चार वर्ष के अध्यधीन और विश्वविद्यालय अथवा अनुसंधान संस्थान तथा प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में शोध कार्य के प्रकाशन हेतु बिताई गई, अवधि के साक्ष्य के रूप में उस विश्वविद्यालय अथवा संस्थान द्वारा प्रमाणीकरण के आधार पर अधिकतम तीन वर्ष के अध्यधीन, अनुभव के रूप में गिना जाएगा।

(ख) श्रेणियां जिनसे प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) की जाएंगी (वैज्ञानिक 'एफ')

भारत में केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या कानूनी या स्वायत्तशासी संगठनों में कार्यरत वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीविद :-

(क)(i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण कर रहे हैं; अथवा

(ii) मूल कांडर या विभाग में नियुक्ति के उपरांत प्राप्त ग्रेड में नियमित आधार पर अर्थात् वेतन बैंड - 4, 37400 - 67000 रु. में 8700 रु. के ग्रेड वेतन में दो वर्षों की सेवा कर चुके हों; और

(iii) मूल कांडर या विभाग में नियुक्ति के उपरांत प्राप्त ग्रेड में नियमित आधार पर अर्थात् वेतन बैंड - 3, 15600 - 39100 रु. में 7600 रु. के ग्रेड वेतन में सात वर्ष सेवा कर चुके हों; और

(ख) उपरोक्त क्रम संख्या 4 (क)(क) के अधीन सीधी भर्ती वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं रखता हो।

**टिप्पण 1:** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन अथवा विभाग में, इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य कांडर बाध्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी जिसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से अधिकतम 5 वर्ष के अध्यधीन वर्ष दर वर्ष के आधार पर बढ़ाया जा सकेगा।

**टिप्पण 2:** पोषक प्रवर्ग में विभागीय अभ्यर्थी, जोकि परिवर्तनीय पूरक योजना (एफ सी एस) के तहत स्वस्थाने प्रोन्नति के लिए सीधे पंक्ति में हैं पर, केवल बाह्य कांडर पदों जिनके लिए वे पोषक श्रेणी अधिकारी नहीं है के अलावा, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार नहीं किया जाएगा।, इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति प्राप्त अधिकारी एफ सी एस के अधीन स्वस्थाने प्रोन्नति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

**टिप्पण 3:** प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन की प्राप्ति की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

5 (क) सीधी भर्ती वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं (वैज्ञानिक 'जी')

(क) आवश्यक:

(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्राकृतिक अथवा कृषि विज्ञान में डॉक्टरेट की डिग्री अथवा इंजीनियरी अथवा प्रौद्योगिकी अथवा औषधि में मास्टर डिग्री या समतुल्य।

(ii) औद्योगिक और अकादमिक संस्थानों अथवा विज्ञान और प्रौद्योगिकी संगठनों अथवा वैज्ञानिक कार्यकलापों और सेवाओं में अनुसंधान और विकास का पन्द्रह वर्ष का अनुभव, जिनमें से प्रशासन, नियोजन, विकास और विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्यक्रमों की सहकारिता में सात वर्षों का अनुभव होना चाहिए।

(iii) विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्यक्रम में विकास, प्रबंधन और निदेशन का अनुभव; अथवा

(iv) उच्च मानक का प्रकाशित शोध कार्य।

**टिप्पण:-**आवश्यक अर्हताओं के अर्जन में बिताई गई अवधि को अनुभव में नहीं गिना जाएगा। तथापि, उन मामलों, जहां डॉक्टरेट डिग्री एक आवश्यक अर्हता नहीं है, में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से डॉक्टरेट डिग्री प्राप्त करने में बिताया गया समय, अधिकतम चार वर्ष के अध्यधीन और विश्वविद्यालय अथवा अनुसंधान संस्थान तथा प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में शोध कार्य के प्रकाशन हेतु बिताई गई अवधि के साक्ष्य के रूप में बिताई इस विश्वविद्यालय अथवा संस्थान द्वारा प्रमाणीकरण के आधार पर अधिकतम तीन वर्ष के अध्यधीन, अनुभव के रूप में गिना जाएगा।

वांछनीय:

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा अनुसंधान संस्थान से प्राकृतिक और कृषि विज्ञान में पश्च डॉक्टरेट अनुसंधान अथवा ऐसे विश्वविद्यालय अथवा संस्थान का प्रमाणीकरण और प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में शोध कार्य के प्रकाशन के रूप में साक्ष्यांकित हो।

(ख) श्रेणियाँ जिनसे प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) की जाएंगी (वैज्ञानिक 'जी'):-

भारत में केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या कानूनी या स्वायत्तशासी संगठनों में कार्यरत वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीविदः

(क)(i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण कर रहे हैं; अथवा

(ii) नियुक्ति के उपरांत प्राप्त ग्रेड में नियमित आधार पर वेतन बैंड - 4, 37400 - 67000 रु. में 8900 रु. के ग्रेड वेतन अथवा समकक्ष में दो वर्ष की सेवा कर चुके हों; और

(ii) नियुक्ति के उपरांत प्राप्त ग्रेड में नियमित आधार पर वेतन बैंड - 4, 37400 - 67000 रु. में 8700 रु. के ग्रेड वेतन अथवा समकक्ष में चार वर्षों की सेवा कर चुके हों; और

(ख) उपरोक्त क्रम संख्या 5 (क)(क) के अधीन सीधी भर्ती वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखता हो।

**टिप्पण 1:** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन अथवा विभाग में, स नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य कांडर बाध्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी, जिसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से वर्ष दर वर्ष आधार पर अधिकतम 5 वर्षों के अध्यधीन बढ़ाया जा सकता है।

**टिप्पण 2:** पोषक प्रवर्ग में विभागीय अभ्यर्थी, जोकि नमनीय पूरक योजना (एफ सी एस) के तहत स्वस्थाने पदोन्नति के लिए सीधे पंक्ति में हैं पर, केवल बाह्य कैडर पदों जिनके लिए वे पोषक ग्रेड अधिकारी नहीं हैं के अलावा, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार नहीं किया जाएगा।, सी प्रकार प्रतिनियुक्ति प्राप्त व्यक्ति एफ सी एस के तहत स्वस्थाने प्रोन्नति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

**टिप्पण 3:** प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु आवेदन की प्राप्ति की अंतिम तिथि को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

### अनुसूची 3

(विनियम 17 देखें)

#### चयन समिति की संरचना

क्रम सं.	पद का नाम	चयन समिति की संरचना
1.	वैज्ञानिक 'सी'	(1) सचिव, विज्ञान और इंजीनियरी अनुसंधान बोर्ड - अध्यक्ष

		(2) अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित होने वाले विज्ञान और 'जीनियरी' अनुसंधान बोर्ड के वैज्ञानिक 'जी' में से एक वैज्ञानिक (3) सचिव द्वारा नामनिर्देशित बाह्य बोर्ड से तीन विशेषज्ञ
2.	वैज्ञानिक 'डी'	(1) सचिव, विज्ञान और 'जीनियरी' अनुसंधान बोर्ड - अध्यक्ष (2) अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित किए जाने वाले विज्ञान और इंजीनियरी अनुसंधान बोर्ड के वैज्ञानिक 'जी' अथवा वैज्ञानिक 'एच' में से एक वैज्ञानिक - सदस्य (3) सचिव द्वारा नामनिर्देशित बाह्य बोर्ड से तीन विशेषज्ञ
3.	वैज्ञानिक 'ई'	(1) सचिव, विज्ञान और इंजीनियरी अनुसंधान बोर्ड - अध्यक्ष (2) अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित किए जाने वाले विज्ञान और इंजीनियरी अनुसंधान बोर्ड के वैज्ञानिक 'जी' अथवा वैज्ञानिक 'एच' में से एक वैज्ञानिक - सदस्य (3) सचिव द्वारा नामनिर्देशित बाह्य बोर्ड से तीन विशेषज्ञ
4.	वैज्ञानिक 'एफ'	(1) सचिव, विज्ञान और इंजीनियरी अनुसंधान बोर्ड - अध्यक्ष (2) अध्यक्ष द्वारा नाम निर्देशित किए जाने वाले विज्ञान और इंजीनियरी अनुसंधान बोर्ड के वैज्ञानिक 'जी' अथवा वैज्ञानिक 'एच' में से एक वैज्ञानिक - सदस्य (3) सचिव द्वारा नामनिर्देशित बाह्य बोर्ड से तीन विशेषज्ञ
5.	वैज्ञानिक 'जी'	(1) सचिव, विज्ञान और 'जीनियरी' अनुसंधान बोर्ड - अध्यक्ष (2) अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित विज्ञान और इंजीनियरी अनुसंधान बोर्ड के वैज्ञानिक 'जी' अथवा वैज्ञानिक 'एच' में से एक वैज्ञानिक - सदस्य (3) सचिव द्वारा नामनिर्देशित बाह्य बोर्ड से तीन विशेषज्ञ
6.	वैज्ञानिक 'एच'	(1) सचिव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग - अध्यक्ष (2) सचिव, जैव प्रौद्योगिकी विभाग - सदस्य (3) सचिव, विज्ञान और इंजीनियरी अनुसंधान बोर्ड - सदस्य (4) अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित बाह्य बोर्ड से दो विशेषज्ञ

#### अनुसूची 4

#### ( विनियम 6 देखें )

#### नमनीय पूरक योजना

- नमनीय पूरक योजना (एफ सी एस) वैज्ञानिकों के लिए स्व - स्थाने प्रोन्नति की योजना है जिसके लिए मानदंड योग्यता और अनुसंधान के अभिलेखों द्वारा साबित किया जाएगा। एफ सी एस के अंतर्गत प्रोन्नति के लिए निर्धारण सन्निधिम कठोर होंगे। वृत्तिक योगदान और तकनीकी ज्ञान के मूल्यांकन पर उचित बल दिया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि केवल उन्ही वैज्ञानिक, जिन्हें प्रदर्शन योग्य उपलब्धियों अथवा तकनीकी वरीयता के उच्च स्तर पर प्रसिद्धि प्राप्त हुई हो, की अनुशंसा की जाए। अनुशंसा किए जाने वाले वैज्ञानिक न केवल अपेक्षित अर्हताएं रखते हो अपितु वे केवल तकनीकी ज्ञान के आधार पर केवल पात्रता रखने वालों से अलग होते हुए वैज्ञानिक और नवोन्मेषी कार्यकलापों में भी लगे हुए हों और इसके अतिरिक्त उनके द्वारा निर्वहन किए गए कृत्य उनके अकादमिक विशेषीकरण से जोड़े जाने और पहचाने जाने योग्य हों।
- मंत्रालयों में प्रबंधन अथवा प्रशासनिक कार्य करने वाले वैज्ञानिक और तकनीकी विशेषज्ञों पर एफ सी एस के तहत उन्नयन के लिए विचार नहीं किया जाएगा। तथापि, उन्हें स्कीम के अधीन उन्नयन के फायदे दिए जाएंगे।
- प्रतिनियुक्ति या संविदा पर नियुक्त किए गए वैज्ञानिक नमनीय पूरक योजना प्रोन्नति (एफ. सी. एस.) के लिए पात्र होंगे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के केवल नियमित वैज्ञानिक एफ.सी.एस प्रोन्नतियों के लिए पात्र होंगे।
- एफ सी एस के तहत भूतक्षील प्रभाव से कोई प्रोन्नति नहीं होगी।
- एफ सी एस के तहत प्रोन्नतियां केवल 10,000/- रु. अथवा उससे कम ग्रेड वेतन वाले पदों तक सीमित होंगी।
- एफ सी एस के तहत प्रोन्नति केवल उन्ही वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी को लागू होगी जो इन नियमों में परिभाषित अथवा विनिर्दिष्ट वैज्ञानिक पद धारक हों और वैज्ञानिक कार्यकलापों और सेवाओं में व्यस्त हों। एफ सी एस के अंतर्गत प्रोन्नति के लिए वैज्ञानिक निम्नलिखित आवश्यक अर्हताएं रखता हो, नामतः:-

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्राकृतिक अथवा कृषि विज्ञान में मास्टर डिग्री अथवा इंजीनियरी अथवा प्रौद्योगिकी अथवा औषधि में बेचलर डिग्री अथवा समकक्ष

7. एफ सी एस के अंतर्गत आने वाले सभी पद निम्नलिखित वेतन बैंड और ग्रेड वेतन, पदनाम समान होंगे और निष्पादता विषयक रेजीडेंसी की न्यूनतम अवधि निम्नानुसार है:

क्रम सं.	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन	पदनाम	निष्पादता विषयक स्थायित्व की न्यूनतम अवधि
1	वेतन बैंड - 3, 15600 - 39100 रु. और ग्रेड वेतन 5400 रु.	वैज्ञानिक 'बी'	3 वर्ष
2	वेतन बैंड - 3, 15600 - 39100 रु. और ग्रेड वेतन 6600 रु.	वैज्ञानिक 'सी'	4 वर्ष
3	वेतन बैंड - 3, 15600 - 39100 रु. और ग्रेड वेतन 7600 रु.	वैज्ञानिक 'डी'	4 वर्ष
4	वेतन बैंड - 4, 37400 - 67000 रु. और ग्रेड वेतन 8700 रु.	वैज्ञानिक 'ई'	5 वर्ष
5	वेतन बैंड - 4, 37400 - 67000 रु. और ग्रेड वेतन 8900 रु.	वैज्ञानिक 'एफ'	5 वर्ष
6	वेतन बैंड - 4, 37400 - 67000 रु. और ग्रेड वेतन 10000 रु.	वैज्ञानिक 'जी'	..

8.1 सेवा की निम्नलिखित अवधि को निचले ग्रेड से अगले उच्च ग्रेड में प्रोन्नति के लिए आवश्यक रूप से स्थायित्व की न्यूनतम अवधि में गणना की जाएगी अर्थात:-

- किसी अन्य वैज्ञानिक पद पर प्रतिनियुक्ति अथवा विदेश सेवा पर बिताई गई, अवधि;
- अकादमिक उपलब्धियों के सुधार के लिए अध्ययन छुट्टी अथवा को, अन्य ली गई छुट्टी की अवधि;
- अधिकतम एक वर्ष की अवधि के लिए उसी निरंतरता में मातृत्व छुट्टी और ली गई, छुट्टी की अवधि
- छुट्टी नियमों के अनुसार एक बार में स्वीकृत अधिकतम 180 से अधिक अर्जित छुट्टी की अवधि

8.2 गैर - वैज्ञानिक पद पर प्रतिनियुक्ति अथवा विदेश सेवा और चिकित्सीय आधार पर छुट्टी की अवधि व्यक्तिगत आधार पर ली गई, असाधारण छुट्टी पर बिताई गई अवधि को स्थायित्व की न्यूनतम अवधि में नहीं जोड़ा जाएगा।

9. एफ सी एस के अंतर्गत अगले उच्चतर ग्रेड में प्रोन्नति के लिए पुनर्विलोकन के प्रयोजन के लिए एक पद पर की गई, नियमित सेवा, तदर्थ सेवा, अनर्हक सेवा को छोड़कर, गणना की जाएगी।

10. सर्वोत्कृष्ट ग्रेडिंग वाले आपवादिक रूप से अर्हताधारक अभ्यर्थियों को रेजीडेंसी अवधि में छूट दी जाएगी, जोकि पूरे सेवाकाल में अधिकतम दो बार तक सीमित होगी और छूट एक बार में एक वर्ष से ज्यादा के लिए नहीं होगी।

11. एफ सी एस के अंतर्गत उच्च ग्रेडों में वैज्ञानिक मंत्रालयों अथवा विभागों के सचिवालय के पदों पर भर्ती वैज्ञानिकों की प्रोन्नति के लिए अनुसंधान और विकास में क्षेत्रीय अनुभव तथा इस प्रकार की वैज्ञानिक परियोजनाओं के कार्यान्वयन में अनुभव का होना अनिवार्य है।

12. वैज्ञानिक 'एफ' और वैज्ञानिक 'जी' ग्रेडों में प्रोन्नति के लिए क्रमशः कम से कम दो वर्ष तथा पांच वर्ष का क्षेत्रीय अनुभव होना आवश्यक है।

13. विभिन्न वैज्ञानिक कार्यकलापों के लिए क्षेत्रीय अनुभव के मापदंड की वैज्ञानिक कार्यकलापों और सेवा नियम में व्याख्या की गई है। इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए मुख्यालय के विद्यमान वैज्ञानिकों को प्रतिनियुक्ति आधार पर वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं अथवा संस्थानों अथवा विश्वविद्यालयों अथवा अन्य संगत वैज्ञानिक कार्यकलापों में नियुक्त करने पर विचार किया जाएगा। अनुसंधान अनुभव अर्थात आवश्यक अर्हताओं से अधिक पश्च डाक्टरेट या औद्योगिक अनुभव वाले मामलों में, उन्हें इस खंड से छूट दी जा सकेगी।

14. सीधी भर्ती वाले व्यक्तियों के लिए आवश्यक अर्हताओं के अर्जन में बिताया गया समय अनुभव में नहीं गिना जाएगा। तथापि उन मामलों, जहां डॉक्टरेट डिग्री एक आवश्यक अर्हता नहीं है, मैं मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से डॉक्टरेट डिग्री प्राप्त करने में बिताया गया समय, अधिकतम चार वर्ष के अध्यधीन और विश्वविद्यालय अथवा अनुसंधान संस्थान तथा प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में शोध कार्य के प्रकाशन हेतु बिताई गई अवधि के साक्ष्य के रूप में उस विश्वविद्यालय अथवा संस्थान द्वारा प्रमाणीकरण के आधार पर अधिकतम दो वर्ष के अध्यधीन अनुभव के रूप में गिना जाएगा।

15. पात्र वैज्ञानिकों को अगले ग्रेड के लिए एफ सी एस हेतु निर्धारण के लिए तीन अवसर दिए जाएंगे। यदि कोई वैज्ञानिक अगले उच्चतर ग्रेड में उन्नयन के लगातार तीन वर्ष अथवा अवसरों पर एफ सी एस के अंतर्गत सफल नहीं होता है तो वह भी उन्हीं उपबंधों के अनुसार स्कीम में शामिल होगा।

16. बोर्ड की निर्धारण प्रक्रिया -

(क) एफ सी एस के अंतर्गत प्रोन्नतियों के लिए प्रक्रिया, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा समय - समय पर जारी एफ सी एस मार्गदर्शक सिद्धांत के अनुसार केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाएगी।

(ख) एफ सी एस प्रोन्नतियों हेतु निर्धारण के लिए प्रक्रिया वर्ष में दो बार अर्थात् प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी और 1 जुलाई को सम्पन्न की जाएगी। प्रक्रिया की शुरुआत कम से कम 3 महीने पहले ही की जाएगी।

(ग) उन वैज्ञानिकों के मामले जिन्होंने निर्धारण की कट - ऑफ तारीख अर्थात् यथास्थिति 1 जनवरी अथवा 1 जुलाई को रेज़ीडेंसी की न्यूनतम अवधि पूरी कर ली है अथवा पूरी की जाएगी, और मूल्यांकन की कट - ऑफ तारीखों से पहले की अवधियों के लिए रेज़ीडेंसी की न्यूनतम अवधि के बराबर अथवा उन वर्षों से अधिक वार्षिक ए सी आर/ ए पी ए आर अर्जित कर ली हों या हो जाएंगी, पर एफ सी एस मूल्यांकन के लिए विचार किया जाएगा।

17. स्तर 1 परीक्षण (आंतरिक) - (1) एफ सी एस के लिए निर्धारण के दो स्तर होंगे। निर्धारण प्रक्रिया निम्न प्रकार से यथाविहित होगी।

(क) वार्षिक कार्य रिपोर्टों के साथ ही साथ एफ सी एस के अंतर्गत उन्नयन हेतु मानदंड के लिए विभाग द्वारा एक आंतरिक परीक्षण समिति का गठन किया जाएगा। स्तर 1 की परीक्षण समिति वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट अथवा वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर वैज्ञानिकों का मूल्यांकन करेगी तथा विनिर्दिष्ट कारणों के साथ पात्र अभ्यर्थियों के 'स्क्रीनिंग इन' अथवा 'स्क्रीनिंग आउट' पर अपनी रिपोर्ट देगी और अनुशंसा करेगी।

(ख) वे अभ्यर्थी जिन्हें स्तर 1 की परीक्षण प्रक्रिया से बाहर रखा गया है, पर एक वर्ष के बाद विचार किया जाएगा तब वे कम से कम एक और वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट या वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट प्राप्त कर लें और वे विहित परीक्षण प्रक्रिया के अधधीन होंगे।

(ग) एफ सी एस के उपबंधों के अनुसार पात्र, सभी वैज्ञानिक और जिन्होंने वैज्ञानिक 'सी' के प्रति उन्नयन के लिए 'अच्छा' और वैज्ञानिक 'डी' के प्रति उन्नयन के लिए 'बहुत अच्छा' और अधिक बैचमार्क प्राप्त किया हो, का परीक्षण किया जाएगा। आंतरिक परीक्षण समिति वैज्ञानिक द्वारा किए वैज्ञानिक कार्य को विहित रूप में व्यक्त करेगी और उसे बाह्य मूल्यांकन समिति को सुलभ करवाएगी।

18. स्तर 2 परीक्षण ('बाह्य') - निर्धारण बोर्ड अथवा विभागीय समकक्ष पुनर्विलोकन समिति (डी पी आर सी) -

(क) वैज्ञानिक 'ई' तक एफ सी एस प्रोन्नतियों के लिए विभाग द्वारा एक निर्धारण बोर्ड का गठन किया जाएगा। कार्य की वैज्ञानिक अंतर्वस्तु के निर्धारण के लिए निर्धारण के पास बोर्ड स्वतंत्र समकक्ष समूह की विशिष्टियां होंगी। विभागीय समकक्ष पुनरीक्षा समिति वैज्ञानिक 'एफ' अथवा वैज्ञानिक 'जी' हेतु उपयुक्तता के लिए वैज्ञानिकों के निर्धारण हेतु स्तर 2 परीक्षण सम्पन्न करेगी।

(ख) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा समय - समय पर जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार केन्द्रीय स्तर 2 की परीक्षण समिति की संरचना वह होगी जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिश्चित की जाए।

(ग) स्तर 1 की परीक्षण समिति में रखे गए वैज्ञानिकों को निर्धारण बोर्ड ('ई' स्तर तक की एफ सी एस प्रोन्नतियों के लिए) अथवा डी पी आर सी (वैज्ञानिक 'एफ' और 'जी' स्तर पर प्रोन्नति के लिए) के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

(घ) स्तर 2 की परीक्षण समिति (यथास्थिति निर्धारण बोर्ड अथवा डी पी आर सी) द्वारा परीक्षित इस प्रकार के अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जाएगा।

(ङ) स्तर 2 की परीक्षण समिति, निर्धारण के लिए अपनी प्रक्रिया तथा पद्धतियों को उपयुक्ततः परिवर्तित करने, जिसमें अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुतिकरण, साक्षात्कार आदि सम्मिलित हैं, के लिए स्वतंत्र होगी।



(च) प्रत्येक मामले में निर्धारण बोर्ड अथवा डी पी आर सी एक पृष्ठ के सार के माध्यम से विनिर्दिष्ट रूप के दस्तावेज़ से अगले उच्चतम ग्रेड पर प्रोन्नति के लिए अभ्यर्थी द्वारा किए गए विशिष्ट कार्य; उसकी वरीयता तथा उपयुक्तता का समर्थन करेगी।

(छ) निर्धारण अथवा डी पी आर सी विनिर्दिष्ट रूप से यह प्रमाणित करेगी कि नियमों के अधीन यथाविहित एफ सी एस के तहत स्व - स्थाने प्रोन्नति के लिए अनुशंसित वैज्ञानिक सभी मानदंडों को पूरा करते हैं।

(ज) स्तर 2 की परीक्षण समिति वार्षिक कार्य प्रतिवेदनों के निर्धारण, उसके सम्मुख अभ्यर्थी का प्रस्तुतिकरण, साक्षात्कार के दौरान प्रदर्शन, अभ्यर्थी का अकादमिक और व्यवसायिक अभिलेख, अभ्यर्थी का अनुसंधान और विकास का अनुभव जोकि प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में शोध कार्य के प्रकाशन से सिद्ध हो और निर्धारण बोर्ड अथवा डी पी आर सी द्वारा जरूरी समझे जाने वाले इस प्रकार के अन्य घटकों अथवा मानदंडों के मूल्यांकन के आधार पर अपनी सिफारिश करेगी।

(झ) उपरोक्त कथनानुसार स्तर 2 के निर्धारण में वांछित न्यूनतम अंक प्राप्त करने में असफल अभ्यर्थियों को सम्पूर्ण परीक्षण प्रक्रिया अर्थात् स्तर 1 का परीक्षण और स्तर 2 के परीक्षण से अगले वर्ष पुनः गुजरना होगा जब वे कम से कम एक और वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट अथवा वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट प्राप्त कर लें।

### अनुसूची - V

1. बाह्य रोगी चिकित्सा व्यय - (1) अधिकारी स्वयं और कुटुम्ब के घोषित सदस्यों के लिए चिकित्सा प्रतिपूर्ति प्राप्त करने हेतु पात्र होंगे।

स्पष्टीकरण:- इस खण्ड के प्रयोजन के लिए, "कुटुम्ब" शब्द की अभिव्यक्ति का अर्थ वही है जो केन्द्रीय सेवा (चिकित्सा परिचर) नियम, 1944 में समनुदेशित है। (2) वर्ष के दौरान बाह्य रोगी चिकित्सा व्यय की पूर्तिपूर्ति वास्तविक व्यय अथवा वर्ष की 1 जनवरी को एक माह का वेतन (मूल वेतन + मंहगाई, भत्ता) जो भी कम हो तक सीमित होगी। (3) दावा राशि डॉक्टर के नुस्खे और मूल कैश मेमो अथवा डाक्टर द्वारा इलाज के बिल और दवाइयों की खरीद द्वारा निर्धारित होगी। और वर्ष के दौरान वेतनवृद्धि अथवा प्रोन्नति 1 जनवरी की स्थिति के अनुसार निर्धारित सीमा को प्रभावित नहीं करेगी। (4) वर्ष के दौरान कार्यभार ग्रहण करने वाले अधिकारियों के लिए वार्षिक हकदारी यथानुपात आधार पर प्रतिबंधित होगी। (5) बाह्य रोगी इलाज बोर्ड द्वारा अनुरक्षित किए जाने वाले पेनल से नामिकागत अधिकृत चिकित्सा परिचर से कराया जाएगा। (6) चिरकालिक बीमारी के मामले में केन्द्रीय सेवा का चिकित्सा परिचर नियम (सी एस एम ए) अथवा केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सी जी एच एस) से कवर अस्पताल द्वारा नुस्खे दवा, यों की कीमत की प्रतिपूर्ति के संबंध में स्वीकार्य होंगे। (7) लागत सघन उपचार के प्रयोजन के लिए, मामला - दर - मामला आधार पर बोर्ड के अनुमोदन से केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना अथवा केन्द्रीय सेवा चिकित्सा परिचर की दरों के अनुसार पूर्ति की जाएगी। (8) आपातकालीन स्थिति में कर्मचारी अपने निकटतम अस्पताल से, लाज करवा सकता है और अस्पताल प्राधिकारियों से आपातकालीन प्रभागपत्र की प्रस्तुति के अधधीन केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों के लिए निर्धारित दरों के अनुसार चिकित्सा व्यय की प्रतीपूर्ति की जाएगी।

2. अस्पताल में भर्ती संबंधी उपचार :-

(1) अस्पताल में भर्ती इलाज के प्रयोजन के लिए, बोर्ड के अधिकारी इस संबंध में बोर्ड द्वारा अधिकृत अस्पतालों में इलाज कराने के हकदार होंगे और इस प्रयोजन के लिए अस्पताल में भर्ती रहने, नर्सिंग होम की सुविधा इत्यादि सहित चिकित्सा संबंधी व्यय केन्द्रीय सरकार कर्मचारी द्वारा आहरित समकक्ष वेतन के संबंध में लागू केन्द्रीय सेवा (चिकित्सा परिवार) नियमावली, 194 के उपबंधों के अनुसार निर्धारित होंगे।

(2) उपर्युक्त खण्ड (1) के उद्देश्यार्थ अधिकृत अस्पताल वहीं होंगे जो केन्द्रीय सेवा (चिकित्सा परिचर) नियमावली 1944 द्वारा विनियमित केन्द्रीय सरकार कर्मचारी को उपलब्ध हैं।

(3) आपातकालीन स्थिति को छोड़कर अधिकृत चिकित्सा परिचरों के परामर्श पर अधिकृत अस्पतालों में इलाज करवाया जा सकता है।

मधु वधावन सिन्हा, निदेशक

**MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY****(Department of Science and Technology)****(Science and Engineering Research Board)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 24th April, 2014

**No. 003/2014/F. No. SR/S9/Z-08/2011.**—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 4 read with section 21 of the Science and Engineering Research Board Act, 2008 (9 of 2009), the Science and Engineering Research Board, with the previous approval of the Central Government, hereby makes the following regulations, namely :—

**CHAPTER I****PRELIMINARY**

1. Short title and commencement.— (1) These regulations may be called the Science and Engineering Research Board (Recruitment and Terms and Conditions of Service of Group 'A' Gazetted Posts (Non-Ministerial, Scientific and Technical) Regulations, 2014.

(2) These regulations shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—In these regulations, unless the context otherwise requires, -

(a) "Act" means the Science and Engineering Research Board Act, 2008 (9 of 2009);

(b) "Appointing Authority" means;

(i) Chairperson in respect of Scientist 'G' and Scientist 'H' and all posts equivalent Group 'A' under the Central Government;

(ii) Secretary in respect of Scientist 'C', Scientist 'D', Scientist 'E' and Scientist 'F' and all posts equivalent to Group 'B' under the Central Government; and

(c) "Chairperson" means the chairperson of the Board;

(d) "Secretary" means the secretary of the Board;

(e) "Schedule" means the Schedule appended to these regulations;

(d) "Screening Committee" means the Committee consisting of the Chairperson and two members nominated by the Chairperson to consider the screening of the applications;

(e) "Selection Committee" means the Committee constituted to consider selection for appointment, confirmation and promotion in accordance with Schedule III to these regulations;

(f) "service" means service of the officers and employees under the Board;

Words and expressions used in these regulations but not defined shall have the same meanings as assigned to them in the Act.

3. Provisions with respect to existing officers. — All officers appointed on a regular basis in the Board immediately before the commencement of these regulations shall be deemed to have been appointed under these regulations.

**CHAPTER II****Classification of posts, Sanctioned Strength and Pay Scale**

4 Number of posts, classification, pay band and grade pay or pay scale.—(1) The number of posts, their classification, pay band and grade pay or pay scale of the Officers and other employees of the Board shall be as specified under:

Sl. No.	Name of post	Classification	Number of posts	Pay band and grade pay or pay scale.
1.	Scientist 'C'	General Central Service, Group 'A' Gazetted	9 (2014)	Pay band -3, Rs.15600-39100 with grade pay of Rs.6600.
2.	Scientist 'D'	(Non-Ministerial, Scientific and Technical)	0* (2014)	Pay band -3, Rs.15600-39100 with grade pay of Rs.7600.
3.	Scientist 'E'		6 (2014)	Pay band -4, Rs.37400-67000 with grade pay of Rs.8700.



4.	Scientist 'F'		0*	Pay band -4, Rs.37400-67000 with grade pay of Rs.8900.
5.	Scientist 'G'		5 (2014)	Pay band -4, Rs.37400-67000 with grade pay of Rs.10000.
6.	Scientist 'H'		0*	Rs.67000 - 79000.
Total			20*	

\* Subject to variation dependent on workload.

Provided that there shall be complete interchangeability between the posts at these levels on account of *in-situ* promotions under Flexible Complementing Scheme (FCS) subject to condition that total number of posts of Scientist 'C' to Scientist 'H' taken together shall not exceed the total sanctioned strength.

### CHAPTER III

#### Method of Recruitment

5. Method of recruitment. – (1) The posts of Scientist 'C' to 'H' shall be selection posts.

(2) The posts shall be exempted from the purview of the Union Public Service Commission for the purpose of recruitment through promotion or deputation and absorption.

(3) Recruitment for the posts of Scientist 'H' shall be made by direct recruitment as specified in Schedule I.

(4) Recruitment for the posts of Scientist 'C' to 'G' shall be made either by promotion or direct recruitment or deputation/absorption (including short term contract) as specified in Schedule II.

(5) Particular method for recruitment for each post or each case shall be decided by the competent authority from time to time.

(6) Particular discipline or field of essential educational qualifications and experience for each post or in each case shall be decided, keeping in view the availability of Scientists in different fields and further requirement of Scientist in a particular field.

(7) Ex-Servicemen may be recruited on re-employment basis in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time.

6. Promotion. – Promotion of Scientists from one grade to the next higher grade in the Cadre up to the grade of Scientist 'G' shall be made under the Flexible Complementing Scheme from amongst the Scientists possessing the educational qualifications as given in Schedule IV in accordance with the criteria prescribed for such promotions by the Government vide Department of Personnel and Training Office Memorandum Number 2/41/97- PIC dated the 9th November, 1998, and No. AB-14017/37/2008-Estt dated the 10th September, 2010 as amended from time to time.

7. Direct recruitment. – Selection of candidate for appointment to various posts which are to be filled up by direct recruitment shall be made as per the procedure laid down below:

- The vacancies which are to be filled up shall be advertised at least in two leading national dailies.
- Applications which are not received by the last date mentioned in the advertisement or which are from candidates who do not satisfy the conditions laid down shall not be entertained.
- The appointing authority shall short list the remaining candidates who are to be called for an interview, provided that the appointing authority may choose to call all candidates for interview.
- Final selection of the candidates shall be made by the appointing authority on the basis of combined evaluation of the candidate's performance in the interview and his/ her qualifications for job experience.
- The appointing authority may in its discretion, in cases where it considers it desirable, may also stipulate whether examination of the candidates is a part of selection process.
- The appointing authority, in its discretion, may maintain a panel of names of suitable candidates who may be offered employment against future vacancies in the concerned posts.

1767 GI/14-5

(g) Any such panel of names, if prepared and maintained shall remain valid for a period of twelve months from the date of its approval.

8: Age limit for direct recruits. – The upper age limit for direct recruits in each category of posts shall be as under:

The upper age limit for direct recruits in each category of posts shall be as under:

Sl. No.	Name of post	Age limit
1.	Scientist 'C'	35 years
2.	Scientist 'D'	40 years
3.	Scientist 'E'	45 years
4.	Scientist 'F'	50 years
5.	Scientist 'G'	50 years
6.	Scientist 'H'	55 years

(Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the orders issued by the Central Government).

**Note 1:** The crucial date for determining the age limit shall be closing date for receipt of application from candidates in India (and not the closing date for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Union territories of Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).

9. Medical Examination.— No candidate who, after a such medical examination as the Authority may prescribe, is not found to be in good material body or health and free from any physical defect likely to interfere with the discharge of the duties of the service shall be appointed to the posts.

#### CHAPTER IV

##### Procedure for Recruitment and Appointment

10. Appointing Authority.— All appointments of the Scientist 'C', 'D', 'E', 'F', 'G' and 'H' shall be made by the Appointing Authority as specified in sub-clause (b) of clause 2 of these regulations.

11. Eligibility criterion for deputation on Foreign Service terms. – The eligibility criterion for deputation on foreign service terms shall be as specified in Schedule –II.

12. Eligibility criterion for direct recruitment. – The eligibility criterion for direct recruitment shall be as specified in Schedule –I and II.

13. Eligibility criterion for short-term contract. – The eligibility criterion for short-term contract shall be as specified in Schedule –II.

14. Eligibility criterion for appointment on promotion basis. – The eligibility criterion for appointment on promotion basis shall be as specified in Schedule –II.

15. Announcement of vacancies.— (1) The Board shall announce in such manner, as it deems fit the number of vacancies to be filled by deputation on foreign service terms or short-term contract basis or through direct recruitment and invite applications for appointment in the Board.

(2) In the case of deputation on foreign service terms the vacancies shall be circulated to all departments, attached offices and subordinate offices of the Central Government and on short-term contract basis from all non-government organisations such as Universities, recognised research institutions, public sector undertakings etc. on deputation on foreign service to the Board for a limited period.

(3) The vacancies which are to be filled up by direct recruitment shall be advertised at least in two leading national dailies and in the website of Board and the Department of Science and Technology (DST).

16.. Prescription of forms and conditions for application.- The Board may prescribe, as it deems fit, the form in which application shall be submitted, the documents and certificates to be submitted with the application, the mode of submission, the last date for receipt of applications and the designated officer for submission of applications.

17. Processing of application. – The Screening Committee shall consider the applications received in the Board and may shortlist candidates, based on the requirements of the job and the curriculum vitae of the candidates, for further processing.

18. Constitution of Selection Committee. –(1) There shall be a Selection Committee for making recommendations for appointment, confirmation and promotion.(2) The Selection Committee shall consist of Chairman and Members as specified in Schedule III of these regulations. (3) The members nominated from the Board shall be at least one level above the post for which the candidate is to be considered for selection.

19. Select list of candidate. – On the recommendation of the Selection Committee, the appointing authority shall prepare a select list of candidates arranged in order of merit which shall remain valid for a period of one year or for such extended period as the appointing authority may specify.

## CHAPTER V

### Pay, Allowances and Conditions of Service

20. Pay fixation in respect of deputationist on foreign service terms or absorption. – (1) The scale of pay applicable and the corresponding levels of the Central Government service against each post are set out in regulation 3 of these regulations.

(2) In the case of appointments on deputation on foreign service terms or absorption, the pay shall be fixed as per the standard terms and conditions as prescribed by the Central Government from time to time.

(3) Dearness Allowance, House Rent Allowance, Transport Allowance, City Compensatory Allowance, Children Education Allowance, Leave Travel Concession, Leave, Travelling Allowance/Dearness Allowance, Residential Telephone and reimbursement of Newspapers bills - shall be as admissible by the Central Government from time to time.

(4) The provisions of New Pension Scheme as applicable to Central Government servants of corresponding level shall apply to the staff of the Board absorbed permanently.

21. Medical facility. – The officers of the Board shall be entitled to medical facilities as specified in Schedule (V).

Any other allowances available in Central Government shall accordingly be admissible as per Central Government rules.

22. Pay fixation (direct recruitment). –The determination of pay and other allowances for the persons appointed through direct recruitment will be as per the Central Government rules. The provisions of New Pension Scheme as applicable to the Central Government servants of corresponding level shall apply to the officer appointed on direct recruitment basis. A person engaged on contract or on tenure basis shall be governed by such terms and conditions as may be decided by the Board.

23. Pay fixation (Promotions). –The determination of pay and other allowances for the persons appointed through promotion will be as per the Central Government rules. The provisions of New Pension Scheme as applicable to Central Government servants of corresponding level shall apply to the staff appointed on promotion.

24. Official visits abroad. – Official visits abroad by officers of the Board shall be undertaken with the approval of Secretary and shall be regulated as per the guidelines or instructions issued by Central Government from time to time.

## CHAPTER VI

### Miscellaneous

25. Probation. –(1) A period of probation may be stipulated for candidates appointed through direct recruitment process. (2) If any probation period is stipulated, a fresh recruit will be confirmed only after he has completed the period of probation and during the period his services and conduct have been found by the Authority to be satisfactory. (3) In the event that the service and conduct of any employee are not found to be satisfactory, in the probation period, at the discretion of the Authority, the period may be extended to provide the employee an opportunity to improve. (4) If the service and conduct of any employee are not found to be satisfactory at the end of the probation period or extended probation period, his services may be terminated.

26. Nationality. —A candidate must be a citizen of India or he must belong to such categories of persons as may from time to time be notified by the Government.

27. Superannuation. — The age of superannuation would be on attaining the age of 60 years.

28. Disqualification.—No person,

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person; shall be eligible for appointment to any of the said posts:

Provided that the Central Government, may, if satisfied that such a marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other valid grounds for so doing, exempt any person from the operation of this regulation.

29. Classification of posts for the purposes for the purposes of medical standards. — All posts under these regulations shall be deemed to be non-technical posts for purposes of medical standards as specified in the medical regulations and medical report for the Indian Administrative Service, Indian Foreign Service and the Central Services.

30. Power to relax. —Where the Board is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of this regulation with respect to any class or category of persons.

31. Interpretation. — If any queries relating to implementation of this regulation arise, they shall be decided by the Board.

32. Removal of difficulties.—The Board may from time to time issue such general or specific directions as may be necessary to remove difficulties in the operation of any of the provisions of this regulation.

33. Matters with respect to which no provision has been made.—Matters relating to the conditions of service of the officers of the Board, with respect to which no provision has been made in these regulations, shall be referred to the Central Government for its decision and the decision of the Central Government in matters so referred shall be final.

34. Saving. — Nothing in these regulations shall affect reservations and other concession required to be provided for Scheduled castes and Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

35. Retirement Benefits. — All officers appointed on or after the 1st January, 2004 shall be governed by the New Pension Scheme applicable to the officers of the Central Government as amended from time to time.

#### Schedule I

(see sub-regulation (3) of regulation 4)

#### Recruitment for the post of 'Scientist 'H'

1. Educational and other qualifications required for direct recruits (Scientist 'H').—

(a) Essential:

(i) Doctorate Degree in Natural or Agricultural Sciences or Master's Degree in Engineering or Technology or Medicine from a recognised University or equivalent.

(ii) Twenty years experience in research and development in industrial and academic institutions or science and technology organisations or scientific activities and services, out of which seven years shall be in administration, planning, development and cooperation of science and technology programmes;

(iii) Experience of evolving, managing and directing major programmes under any branch of science and technology; and

Note: Period spent on acquiring essential qualifications shall not count towards experience. However, period spent on acquiring doctorate degree from a recognised University or Institute in cases where doctorate degree is not an essential qualification, subject to a maximum of four years, and period spent on post doctorate research in a University or research Institute as evidenced by certification by such University

or Institute and publication of research work in journals of repute, subject to maximum of three years, shall be counted as experience.

(b) Desirable:

Post Doctoral research in Natural or Agricultural sciences or doctorate degree in Engineering or Technology or Medicine from a recognised University or research Institute as evidenced by certification by such University or Institute and publication of research work in journals of repute.

**Schedule II**

(see sub-regulation (4) of regulation 4)

**Recruitment for the posts of Scientists 'C' to 'G'**

**1. (A) Educational and other qualifications required for direct recruits (Scientist 'C').-**

(a) Essential:

(i) Master's Degree in Natural or Agricultural Sciences or Bachelor's Degree in Engineering or Technology or Medicine from a recognised University or equivalent.

(ii) Four years' experience in Research and Development in Industrial and Academic Institutions or Science and Technology Organisations.

(b) Desirable:

Doctorate degree in Natural or Agricultural sciences or Master's degree in Engineering or Technology or Medicine from a recognised University or equivalent.

**Note:** Period spent on acquiring essential qualifications shall not count towards experience. However, period spent on acquiring doctorate degree from a recognised University or Institute in cases where doctorate degree is not an essential qualification, subject to a maximum of four years, and period spent on post doctorate research in a University or research Institute as evidenced by certification by such University or Institute and publication of research work in journals of repute, subject to maximum of three years, shall be counted as experience.

**(B) Grades from which deputation (including short term contract) to be made (Scientist 'C').-**

Scientists or Technologists working in the Central Government or State Governments or Universities or recognised research Institutions or Public Sector Undertaking or Statutory or Autonomous organisations in India:

(a) (i) holding analogous post on regular basis; or

(ii) with two years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the pay band -3, Rs.15600-39100 with grade pay of Rs.5400 or equivalent; and

(b) possessing the educational qualifications prescribed for direct recruits under serial number 1 (A) (a) above.

**Note 1:** The period of deputation, including the period of deputation in another *ex-cadre* post held immediately preceding this appointment in same or some other Organizations or Department of the Central Government shall not ordinarily exceed three years, which may be extended further on year to year basis, subject to a maximum of 5 years with the approval of the competent authority.

**Note 2:** Departmental candidates in the feeder category, who are in the direct line of *in-situ* promotion under Flexible Complementing Scheme (FCS), shall not be eligible for consideration for appointment on deputation except for the *ex-cadre* post for which they are not the feeder grade officers. Similarly, deputationist shall not be eligible for consideration for *in-situ* promotions under FCS.

**Note 3:** The maximum age limit for appointment by deputation shall not exceed 56 years as on the closing date of receipt of application.

**2. (A) Educational and other qualifications required for direct recruits (Scientist 'D').-**

1767 GT/14-6

## (a) Essential:

- (i) Master's Degree in Natural or Agricultural Sciences or Bachelor's Degree in Engineering or Technology or Medicine from a recognised University or equivalent.
- (ii) Eight years' experience in research and development in industrial and academic Institution or science and technology organisations or scientific activities and services, out of which four years shall be in administering, planning, development and co-ordination of science and technology programmes.

## (b) Desirable:

Doctorate degree in Natural or Agricultural sciences or Master's degree in Engineering or Technology or Medicine from a recognised University or equivalent.

**Note:** Period spent on acquiring essential qualifications shall not count towards experience. However, period spent on acquiring doctorate degree from a recognised University or Institute in cases where doctorate degree is not an essential qualification, subject to a maximum of four years, and period spent on post doctorate research in a University or research Institute as evidenced by certification by such University or Institute and publication of research work in journals of repute, subject to maximum of three years, shall be counted as experience.

## (B) Grades from which deputation (including short term contract) to be made (Scientist 'D').—

Scientists or Technologists working in the Central Government or State Governments or Universities or recognised research Institutions or Public Sector Undertaking or Statutory or Autonomous organisations in India:

- (a) (i) holding analogous post on regular basis; or
- (ii) with three years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the pay band -3, 'Rs.15600-39100 with grade pay of Rs. 6600 or equivalent; and
- (b) possessing the educational qualifications prescribed for direct recruits under serial number 2 (A) (a) above.

**Note 1:** The period of deputation, including the period of deputation in another *ex-cadre* post held immediately preceding this appointment in same or some other Organisations or Department of the Central Government shall not ordinarily exceed three years, which may be extended further on year to year basis, subject to a maximum of 5 years with the approval of the competent authority.

**Note 2:** Departmental candidates in the feeder category, who are in the direct line of *in-situ* promotion under Flexible Complementing Scheme (FCS), shall not be eligible for consideration for appointment on deputation except for the *ex-cadre* post for which they are not the feeder grade officers. Similarly, deputationist shall not be eligible for consideration for *in-situ* promotions under FCS.

**Note 3:** The maximum age limit for appointment by deputation shall not exceed 56 years as on the closing date of receipt of application.

## 3. (A) Educational and other qualifications required for direct recruits (Scientist 'E').—

## (a) Essential:

- (i) Doctorate Degree in Natural or Agricultural Sciences or Master's Degree in Engineering or Technology or Medicine from a recognised University or equivalent.
- (ii) Ten years' experience in research and development in industrial and academic institutions or science and technology organisations or scientific activities and services, out of which five years shall be in administering, planning, development and coordination of science and technology programmes.

## (b) Desirable:

Post Doctorate research in Natural or Agricultural sciences or doctorate degree in Engineering or Technology or Medicine from a recognised University or research Institute as evidenced

by certification by such University or Institute and publication of research work in journals of repute.

**Note:** Period spent on acquiring essential qualifications shall not count towards experience. However, period spent on acquiring doctorate degree from a recognised University or Institute in cases where doctorate degree is not an essential qualification, subject to a maximum of four years, and period spent on post doctorate research in a University or research Institute as evidenced by certification by such University or Institute and publication of research work in journals of repute, subject to maximum of three years, shall be counted as experience.

**(B) Grades from which deputation (including short term contract) to be made (Scientist 'E').—**

Scientists or Technologists working in the Central Government or State Governments or Universities or recognised research Institutions or Public Sector Undertaking or Statutory or Autonomous organisations in India:

(a) (i) holding analogous post on regular basis; or

(ii) with four years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the pay band -3, 'Rs.15600-39100 with grade pay of Rs.7600 or equivalent; or

(iii) with ten years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the pay band -3, Rs.15600-39100 with grade pay of Rs.6600 or equivalent; and

(b) possessing the educational qualifications prescribed for direct recruits under serial number 3 (A) (a) above.

**Note 1:** The period of deputation, including the period of deputation in another *ex-cadre* post held immediately preceding this appointment in same or some other Organisations or Department of the Central Government shall not ordinarily exceed three years, which may be extended further on year to year basis, subject to a maximum of 5 years with the approval of the competent authority.

**Note 2:** Departmental candidates in the feeder category, who are in the direct line of *in-situ* promotion under Flexible Complementing Scheme (FCS), shall not be eligible for consideration for appointment on deputation except for the *ex-cadre* post for which they are not the feeder grade officers. Similarly, deputationist shall not be eligible for consideration for *in-situ* promotions under FCS.

**Note 3:** The maximum age limit for appointment by deputation shall not exceed 56 years as on the closing date of receipt of application.

**4. (A) Educational and other qualifications required for direct recruits (Scientist 'F').—**

(a) Essential:

(i) Doctorate Degree in Natural or Agricultural Sciences or Master's Degree in Engineering or Technology or Medicine from a recognised University or equivalent.

(ii) Twelve years' experience in research and development in industrial and academic institutions or science and technology organisations or scientific activities and services, out of which six years shall be in managerial capacity for administering, planning, development and coordination of science and technology programmes.

(b) Desirable:

Post Doctorate research in Natural or Agricultural sciences or doctorate degree in Engineering or Technology or Medicine from a recognised University or research Institute as evidenced by certification by such University or Institute and publication of research work in journals of repute.

**Note:** Period spent on acquiring essential qualifications shall not count towards experience. However, period spent on acquiring doctorate degree from a recognised University or Institute in cases where doctorate degree is not an essential qualification, subject to a maximum of four years, and period spent on post doctorate research in a University or research Institute as evidenced by certification by such University or Institute and publication of research work in journals of repute, subject to maximum of three years, shall be counted as experience.



**(B) Grades from which deputation (including short term contract) to be made (Scientist 'F').—**

Scientists or Technologists working in the Central Government or State Governments or Universities or recognised research Institutions or Public Sector Undertaking or Statutory or Autonomous organisations in India:

- (a) (i) holding analogous post on regular basis; or
- (ii) with two years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the pay band -4, 'Rs.37400-67000 with grade pay of Rs.8700 in the parent cadre or department; or
- (iii) with seven years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the pay band -3, Rs.15600-39100 with grade pay of Rs.7600 in the parent cadre or department; and
- (b) possessing the educational qualifications prescribed for direct recruits under serial number 4 (A) (a) above.

**Note 1:** The period of deputation, including the period of deputation in another *ex-cadre* post held immediately preceding this appointment in same or some other Organisations or Department of the Central Government shall not ordinarily exceed three years, which may be extended further on year to year basis, subject to a maximum of 5 years with the approval of the competent authority.

**Note 2:** Departmental candidates in the feeder category, who are in the direct line of *in-situ* promotion under Flexible Complementing Scheme (FCS), shall not eligible for consideration for appointment on deputation except for the *ex-cadre* post for which they are not the feeder grade officers. Similarly, deputationist shall not be eligible for consideration for *in-situ* promotions under FCS.

**Note 3:** The maximum age limit for appointment by deputation shall not exceed 56 years as on the closing date of receipt of application.

**5. (A) Educational and other qualifications required for direct recruits (Scientist 'G').—****(a) Essential:**

- (i) Doctorate Degree in Natural or Agricultural Sciences or Master's Degree in Engineering or Technology or Medicine from a recognised University or equivalent.
- (ii) Fifteen years' experience in research and development in industrial and academic institutions or science and technology organisations or scientific activities and services, out of which seven years shall be in administration, planning, development and cooperation of science and technology programme;
- (iii) Experience of evolving, managing and directing science and technology programme; and
- (iv) Published research work of high standard.

**Note:** Period spent on acquiring essential qualifications shall not count towards experience. However, period spent on acquiring doctorate degree from a recognised University or Institute in cases where doctorate degree is not an essential qualification, subject to a maximum of four years, and period spent on post doctorate research in a University or research Institute as evidenced by certification by such University or Institute and publication of research work in journals of repute, subject to maximum of three years, shall be counted as experience.

**Desirable:**

Post Doctorate research in Natural or Agricultural sciences or doctorate degree in Engineering or Technology or Medicine from a recognised University or research Institute as evidenced by certification by such University or Institute and publication of research work in journals of repute.

**(B) Grades from which deputation (including short term contract) to be made (Scientist 'G').—**



Scientists or Technologists working in the Central Government or State Governments or Universities or recognised research Institutions or Public Sector Undertaking or Statutory or Autonomous organisations in India:

- (a) (i) holding analogous post on regular basis; or
- (ii) with two years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the pay band -4, Rs.37400-67000 with grade pay of Rs.8900 in the parent cadre or department ; or
- (iii) with four years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the pay band -4, Rs.37400-67000 with grade pay of Rs.8700 in the parent cadre or department; and
- (b) possessing the educational qualifications prescribed for direct recruits under serial number 5 (A) (a) above.

**Note 1:** The period of deputation, including the period of deputation in another *ex-cadre* post held immediately preceding this appointment in same or some other Organizations or Department of the Central Government shall not ordinarily exceed three years, which may be extended further on year to year basis, subject to a maximum of 5 years with the approval of the competent authority.

**Note 2:** Departmental candidates in the feeder category, who are in the direct line of *in-situ* promotion under Flexible Complementing Scheme (FCS), shall not eligible for consideration for appointment on deputation except for the *ex-cadre* post for which they are not the feeder grade officers. Similarly, deputationist shall not be eligible for consideration for *in-situ* promotions under FCS.

**Note 3:** The maximum age limit for appointment by deputation shall not exceed 56 years as on the closing date of receipt of application.

### Schedule III

(see regulation 17)

#### Composition of Selection Committee

Sl. No.	Name of post	Composition of Selection Committee
1.	Scientist 'C'	(1) Secretary, Science and Engineering Research Board - Chairman (2) One Scientist from Scientist 'G' or Scientist 'H' of Science and Engineering Research Board to be nominated by the Chairman - Members (3) Three experts from outside Board nominated by Secretary.
2.	Scientist 'D'	(1) Secretary, Science and Engineering Research Board - Chairman (2) One Scientist from Scientist 'G' or Scientist 'H' of Science and Engineering Research Board to be nominated by the Chairman - Members (3) Three experts from outside Board nominated by Secretary.
3.	Scientist 'E'	(1) Secretary, Science and Engineering Research Board - Chairman (2) One Scientist from Scientist 'G' or Scientist 'H' of Science and Engineering Research Board to be nominated by the Chairman - Members (3) Three experts from outside Board nominated by Secretary.
4.	Scientist 'F'	(1) Secretary, Science and Engineering Research Board - Chairman (2) One Scientist from Scientist 'G' or Scientist 'H' of Science and Engineering Research Board to be nominated by the Chairman - Members (3) Three experts from outside Board nominated by Secretary.
5.	Scientist 'G'	(1) Secretary, Department of Science and Technology - Chairman (2) Secretary, Science and Engineering Research Board - Member (3) Three experts from outside Board nominated by Secretary.
6.	Scientist 'H'	(1) Secretary, Department of Science and Technology - Chairman (2) Secretary, Department of Biotechnology - Member

1767 GE/14-7

		(3) Secretary, Science and Engineering Research Board – Member (4) Two experts from outside Board nominated by Chairman.
--	--	---

#### Schedule IV

(see regulation 6)

#### Flexible Complementing Scheme

1. The Flexible Complementing Scheme (FCS) is an *in-situ* promotion scheme for Scientist for which criteria shall be proven merit and records of research. The assessment norms for promotion under FCS shall be rigorous. Due emphasis shall be laid on evaluation of professional contribution and technical knowledge to ensure that only Scientists having to their credit demonstrable achievements or higher level of technical merit are recommended. Scientists recommended shall not only possess the requisite qualifications, but, should also be engaged in Scientific and innovative activities as distinct from the mere applicable to technical knowledge and further, the function discharged by them are relatable or identifiable to their academic specialisation.

2. Scientists or Technical experts doing management or administrative work in the Ministries shall not be considered for upgradation under FCS. However, they shall be given benefit of upgradation under the Scheme.

3. The Scientists appointed on deputation or contract shall not be eligible for Flexible Complementing Scheme promotions (FCS). Only regular Scientists of the Department of Science and Technology shall be eligible for FCS promotions.

4. There shall be no retrospective promotions under FCS.

5. The promotions under FCS shall be limited to posts carrying a grade pay of Rs. 10,000/- or lower.

6. The promotion under FCS shall be applicable only to those Scientists and Technologists who hold scientific posts and are engaged in scientific activities and services as defined or specified in these rules. For promotions under FCS, the Scientist shall possess the following essential qualifications namely:—

Master's Degree in Natural or Agricultural Sciences or Bachelor's Degree in Engineering or Technology or Medicine from a recognised University or equivalent.

7. All the posts covered under FCS shall carry the following uniform pay band and grade pay, designation and the minimum residency period linked to performance as follows:—

Sl. No.	Pay band and grade pay	Designation	Minimum Residency Period linked to Performance
1.	Pay band -3, Rs. 15600-39100 with grade pay of Rs.5400.	Scientist 'B'	3 years
2.	Pay band -3, Rs.15600-39100 with grade pay of Rs.6600.	Scientist 'C'	4 years
3.	Pay band -3, Rs.15600-39100 with grade pay of Rs.7600.	Scientist 'D'	4 years
4.	Pay band -4, Rs.37400-67000 with grade pay of Rs.8700.	Scientist 'E'	5 years
5.	Pay band -4, Rs.37400-67000 with grade pay of Rs.8900.	Scientist 'F'	5 years
6.	Pay band -4, Rs.37400-67000 with grade pay of Rs.10000.	Scientist 'G'	---

8.1 The following period of service shall count towards the minimum residency period necessarily required to be put up in the lower grade for promotion to the next higher grade, namely :-

- (i) the period spent on deputation or foreign service to another scientific post;
- (ii) the period of study leave or any other leave taken for improving the academic accomplishments;
- (iii) the period of maternity leave and leave taken in continuation of the same for a maximum period of one year;

(i) the period of earned leave not exceeding 180 days at a time sanctioned as per leave rules.

8.2 The period spent on deputation or foreign service to a non-scientific post and the period of leave on medical grounds, leave such as extra-ordinary leave availed on personal grounds shall not count towards the minimum residency period.

9. The regular services rendered, excluding *ad-hoc* service, non-qualifying service, in a post shall count for the purpose of review for promotion to the next higher grade under FCS.

10. The exceptionally meritorious candidates with all outstanding gradings shall be granted relaxation in the residency period, the relaxation being not more than one year on any single occasion, limited to a maximum of two occasions in their entire career.

11. Field experience in research and development and experience in implementation of such scientific projects is compulsory for promotion of Scientists recruited to the posts in the Secretariat of the Scientific Ministries or Departments to higher grades under FCS.

12. Field experience of at least two years and five years respectively shall be essential for promotion to Scientist 'F' and Scientist 'G' grades respectively.

13. The criteria for field experience for different scientific activities have been elaborated under Scientific Activities and Services Rule. To meet this requirement, existing Scientists at Headquarters shall be considered for appointment on deputation basis to the scientific laboratories or institutes or Universities or other relevant scientific activities. In case of candidates having research experience i.e. post doctorate or industry exposure beyond the essential qualifications they may be given relaxation from this clause.

14. The period spent on acquiring essential qualifications prescribed for direct recruits shall not count towards experience. However, period spent on acquiring doctorate degree from a recognised University or Institute in cases where doctorate degree is not an essential qualification, subject to a maximum of four years, and period spent on post doctorate research in a University or research Institute, as evidenced by certification by such University or Institute and publication of research work in journals of repute, subject to maximum of two years, shall be counted as experience.

15. The eligible Scientist shall be given three chances for assessment for FCS for the next grade. In case a Scientist does not qualify under FCS for three successive years or chances for upgradation to next higher grade, he shall be covered under the Assured Career Progression (ACP) Scheme according to the provisions of the same.

16. Broad assessment process.—

(a) The process for promotions under FCS shall be as prescribed by the Central Government in accordance with the FCS guidelines issued by DoPT from time to time.

(b) The process for assessment for FCS promotions shall be undertaken twice a year, as on 1<sup>st</sup> of January and 1<sup>st</sup> of July every year. The process shall be initiated at least 3 months in advance.

(c) Cases of those Scientists who have completed or will complete the minimum residency period as on the cut-off dates of assessment viz. 1<sup>st</sup> January or 1<sup>st</sup> July, as the case may be, and have earned or will earn number of annual ACRs / APARs equal to or more than the number of years of minimum residency period for the period of preceding the cut off dates of assessment, shall be considered for FCS assessment.

17. Level 1 screening (Internal).— (1) There shall be two levels of assessment for FCS. The assessment procedure shall be as prescribed below.

(a) An internal Screening Committee shall be constituted by the Department for evaluation of annual work reports *vis a vis* the criteria for up-gradation under FCS. Level 1 Screening Committee shall assess the Scientists based on Annual Confidential Report or Annual Performance Appraisal Report and give its report and recommendations with specific reasons, on 'screening in' or 'screening out' of the eligible candidates.

(b) Candidates who are 'screened out' in Level 1 screening process shall be considered again after one year when they earn at least one more Annual Confidential Report or Annual Performance Appraisal Report and shall be subjected to the prescribed screening process again.

- (c) All Scientists eligible according to the provisions of FCS and who meet the benchmark of 'Good' for upgradation to Scientist 'C' and 'Very Good' for upgradation to Scientist 'D' and above would be screened in. The internal Screening Committee would report on the scientific content of work done by the Scientist in the prescribed format and same would be made available to the external assessment committee.
18. Level 2 Screening (External) – Assessment Board or Departmental Peer Review Committee (DPRC).—
- (a) An Assessment Board shall be constituted by Department for FCS promotions upto Scientist 'E'. The Assessment Board would have characteristic of independent peer group for the assessment of the scientific content of the work. The Departmental Peer Review Committee (DPRC) shall undertake level 2 screening for assessment of Scientist for their suitability for Scientist 'F' or Scientist 'G'.
  - (b) The composition of Level 2 Screening Committee / (Assessment Board/ DPRC) shall be as decided by Central Government in accordance with the guidelines of Department of Personnel and Training issued from time to time.
  - (c) Scientists 'screened in' by the Level 1 Screening Committee shall be placed before the Assessment Board (for FCS promotions upto 'E' level) or before the DPRC (for promotions to Scientist 'F' and 'G' level)
  - (d) Such 'screened in' candidates shall be called for Interview by Level 2 Screening Committee (Assessment Board or DPRC as the case may be)
  - (e) Level 2 Screening Committee shall be free to devise its process and procedure for assessment, which may include presentations by the candidates, interview etc.
  - (f) The Assessment Board or DPRC shall, in each case, document specifically through a one page summary, the specific content of work done justifying the merit and the suitability of the candidates for promotion to the next higher grade.
  - (g) The Assessment Board or DPRC shall specifically certify that the Scientists recommend meet all the criteria for *in-situ* promotion under FCS as prescribed under the rules.
  - (h) The Level 2 Screening Committee shall make its recommendations on the basis of assessment of Annual Work Reports, presentation made by the candidates before it, performance during the Interview, academic and professional record of the candidates, research and development experience of the candidates evidenced by publication of research work in journals of repute, and such other factors or parameters as the Assessment Board or DPRC may consider necessary.
  - (i) Candidates who fail to obtain the minimum required marks in the Level 2 Assessment as stated above shall go through the entire screening process viz. Level I Screening and Level 2 Screening again after one year, when they earn at-least one more Annual Confidential Report or Annual Performance Appraisal Report.

#### Schedule-V

1. Outdoor Medical expenses.— (1) The officers shall be eligible to get medical reimbursement for self and declared members of family.

Explanation: For the purpose of this clause, the expression "family" shall have the same meaning as assigned to it in the Central Services (Medical Attendants) Rules, 1944.

(2) The reimbursement of outdoor medical expenses during the year shall be limited to the actual expenses or one month's pay on the 1st January of the year (Basic Pay + Dearness Allowance) whichever is less.

(3) The claim shall be supported by doctors prescription and the original cash memos or bills for treatment by the doctor and purchase of medicines and release of increment or promotion during the year shall not affect the limit as on the 1st January.

(4) For officers joining during the year, the annual entitlement shall be restricted on pro-rata basis.

(5) The outdoor treatment shall be taken from the Authorised Medical Attendants empanelled from the panel to be maintained by the Board.

(6) In case of chronic ailments prescription from Central Service Medical Attendance Rules (CSMA) or Central Government Health Scheme (CGHS) covered hospital shall be admissible with reference to reimbursement of cost of medicines.

(7) For the purpose of cost intensive treatments, the reimbursement shall be made as per the Central Government Health Scheme or Central Services Medical Attendants rates with the approval of the Board on a case to case basis.

(8) In case of emergency the employee may take treatment at the nearest hospital and expenditure shall be reimbursed as per the rates prescribed for Central Government Health Scheme beneficiaries subject to production of emergency certificate from the hospital authorities.

2. Indoor treatment:-

- (i) For the purpose of indoor treatment the, officers of the Board shall be entitled for medical treatment at hospitals authorised by the Board in this behalf and for this purpose cost of treatment including hospital accommodation, nursing home facility, etc. shall be as per the provisions of the Central Services (Medical Attendants) Rules, 1944 as applicable to the Central Government employees drawing equivalent pay
- (ii) The authorised hospitals for the purpose of Clause (1) above shall be the same available to the Central Government employees regulated by Central Services (Medical Attendants) Rules, 1944.
- (iii) Treatment at authorised hospitals may be taken on the advice of the Authorized Medical attendants except in emergency.

MADHU WADHAWAN SINHA, Director

[ADVT. III/4/EXTY./191-I/14]